उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय अनुभाग-1

संख्या 3533सं/सत्रह-81-94-सं-81

लखनऊ, 11 सितम्बर, 1981

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा [1][***] 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. इस नियमावली मे,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 से है :

(ख) ''सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेशन) नियमावली, 1981 से है :

(ग) अधिनियम मे प्रयुक्त और परिभाषित, किन्तु इस नियमावली मे अपरिभाषित, समस्त अन्य शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम मे उसके लिये दिये गये हैं।

अध्याय-दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन कब देय होगा

3. (1) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नेता विरोधी दल का वेतन अनुवर्ती मास के प्रथम दिन को देय हो जायगा और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चात्वर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

(2) यदि नेता विरोधी दल का अभिज्ञान, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा वापस ले लिया जाय या तो नेता विरोधी दल का पद अन्यथा रिक्त हो जाय, तो उसका वेतन, ऐसी वापसी या रिक्ति के दिनांक के अगले दिन को देय हो जायेगा और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चात्वर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

आहरण अधिकारी

4. (1) नेता विरोधी दल अपने वेतन बिल का आहरण अधिकारी होगा, और प्रमुख सचिव ऐसे बिल के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होगा।

(2) नेता विरोधी दल उस जिले के जहां वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, कोषागार अधिकारी को ऐसे बिल का भुगतान किये जाने के पूर्व सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपने हस्ताक्षर का नमूना भेजेगा।

महालेखाकार को सूचना

5. जब कोई व्यक्ति त्याग-पत्र देने या मृत्यु के कारण या अन्यथा नेता विरोधी न रह जाय, तब प्रमुख सचिव महालेखाकार को उस दिनांक की, जिस दिनांक को ऐसा व्यक्ति नेता विरोधी दल न रह जाय, सूचना तत्काल देगा।

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

6. इस अध्याय के उपबन्ध, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की मांग के संबंध मे, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वेतन के संबंध में लागू होते हैं।

1.अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94 सं-81, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 द्वारा निकाला गया।

अध्याय-तीन

सवारी

7. [1][***********

8. ************

9. ************

10. ************

अध्याय-चार

वास्तविक व्यय

11. ************]

अध्याय-पांच

टेलीफोन

12. (1) नेता विरोधी दल सदस्य के रूप में ''सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन नियमावली'' के नियम-37 या नियम-38 के अधीन जिस टेलीफोन के लिये हकदार है उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के व्यय पर सचिवालय में अपने कार्यालय कक्ष में एक आन्तरिक और एक बाह्य टेलीफोन लगाये जाने का हकदार होगा।

(2) नेता विरोधी दल उप नियम (1) में निर्दिष्ट समस्त टेलीफोन से ट्रंक राज्य सरकार के व्यय पर निःशुल्क स्थानीय काल और उसके अतिरिक्त ऐसे काल का, जो लोक हित में किये जायें, हकदार होगा।

अध्याय-छः

कर्मचारीगण

नेता विरोधी दल के लिये कर्मचारीगण

13. [2][प्रमुख सचिव नेता विरोधी दल के लिये निम्नलिखित कर्मचारीगण की व्यवस्था करेगा अर्थात्-

नेता विरोधी दल के लिये कर्मचारीगण

(क) एक निजी सचिव(श्रेणी-2);

(ख) एक जन सम्पर्क अधिकारी;

(ग) एक वैयक्तिक सहायक ;

(घ) एक जमादार;

(ङ) एक चपरासी।]

14. [1][*********]

अध्याय-सात

प्रकीर्ण

प्रकीर्ण उपबन्ध

15. नेता विरोधी दल को ऐसी अन्य सुविधायें मिलती रहेगी जिनके लिये वह ''सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली'' के अधीन सदस्य के रूप में हकदार है और जिनके लिये इस नियमावली के अधीन कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है।

सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली के नियम-48 और 49 का लागू होना

16. सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली के नियम-48 और 49 के उपबन्ध और उक्त नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियमावली के उपबन्धों के संबंध में लागू होंगे।

नियमावली का निर्वचन

17. यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई सन्देह या विवाद हो, तो उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

1-अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94 सं-81, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 द्वारा निकाला गया।

2-अधिसूचना संख्या 3164/17-सं-1-82-94 सं-81, दिनांक 15 जुलाई, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।